Department of Science a
Ministry of Science and

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत प्रस्तावों के लिए आमंत्रण (सीएफपी)
मिशन-सह-संकल्प

वेबसाइट: **https://dst.gov.in/seed-home**

आवेदन की अंतिम तारीख: **15 मार्च, 2026**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय (पीएसए कार्यालय) के सहयोग से मिशन सह-संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान-संचालित कार्रवाई हेतु विज्ञान और उन्नत नेटवर्क) के रूप में सतत आजीविका प्रणाली के लिए मिशन एसएंडटी प्रारंभ किया है। यह राष्ट्रीय मिशन विशेषतः नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी ब्लॉकों में स्थिरता, सुदृढ़, और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और आदिवासी आजीविका के साथ एसएंडटी समाधानों को एकीकृत करने की आवश्यकता को पूरा करता है।
इस प्रस्ताव आमंत्रण (सीएफपी) के माध्यम से पात्र संस्थानों और संगठनों को चयनित आकांक्षी ब्लॉकों में एसटीआई-आधारित आजीविका हस्तक्षेपों के प्रायोगिक परीक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि **अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों** की क्षमताओं को बढ़ाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने वाले व्यापक मॉडल विकसित किए जा सकें; और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हों। प्रस्तावों में मिशन सह-संकल्प और स्थायी आजीविका को आगे बढ़ाने के इसके उद्देश्यों के साथ उनकी अनुरूपता को स्पष्ट रूप से उजागर किया जाना चाहिए।

सहायता का दायरा

- प्रौद्योगिकी विकास, अनुकूलन योग्य एसएंडटी, और परिनियोजन
- आकांक्षी जिलों आदि के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) गाँवों और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) गाँवों में चयनित स्थानों पर प्रायोगिक कार्यान्वयन
- सामुदायिक सुविधा केन्द्रों, विनिर्माण केन्द्रों, प्रौद्योगिकी मेला या इसी तरह के उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा जैसी विकेंद्रीकृत इकाइयों की स्थापना, जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता की योजना हो
- एसटीआई-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वदेशी ज्ञान के एकीकरण और सामुदायिक अधिगम केन्द्र के माध्यम से समुदाय, स्थानीय संस्थानों और अन्य हितधारकों का क्षमतावर्धन
- समुदाय या राज्य सरकार द्वारा अभिग्रहण के लिए स्तरोन्नयन योजना और स्थायी मॉडलिंग।
- व्यापक जनसंपर्क के लिए प्रभाव मूल्यांकन और प्रलेखीकरण

कार्य पैकेज (डब्ल्यूपी): वित्तपोषण और कार्यान्वयन को निम्नलिखित छह कार्य पैकेजों (डबल्यूपी) के आधार पर संरचित किया जाएगा:

- **डबल्यूपी 1:** प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र में प्रमुख आजीविका प्रणालियों के आधार पर स्थानों की पहचान।
- **डबल्यूपी 2:** प्रमुख आजीविका प्रणाली (गतिशीलता, क्षमताएं और कमजोरियाँ) और स्थानीय ज्ञान/नवाचार प्रणाली का विश्लेषण।

- **डबल्यूपी 3:** आजीविका संबंधी डेटा, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, और एआई मॉडलिंग और स्थानिक दृश्यीकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाधान सहित जिला-स्तरीय डेटाबेस प्रदान करना।
- **डबल्यूपी 4:** प्रौद्योगिकी अपेक्षाओं और संसाधन उपलब्धता का मानचित्रण
- **डबल्यूपी 5:** एसटीआई क्रियाकलाप दीर्घकालिक, पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक अवसरों और सतत आजीविकाओं के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, अनुकूलन, स्थानीयकरण, पायलट परीक्षण और कार्यान्वयन
- **डबल्यूपी 6:** प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के निर्माण, अनुरक्षण और विपणन संबंधी संस्थानों और वंचित वर्ग (जिसमें युवा, ट्रांसजेंडर और महिलाएं शामिल हैं) का क्षमतावर्धन।

(इस डेटाबेस का उपयोग वित्तपोषक एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों में स्थानीय विकास और आजीविका चुनौतियों का निदान करने और स्थानीयकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के कार्यान्वयन हेतु एआई-सक्षम, साक्ष्य-आधारित निर्णयन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जा सकता है)।

मुख्य झलकियां

भौगोलिक फोकस और लाभार्थी: प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 3 गांव और आकांक्षी ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक में 500 प्रत्यक्ष लाभार्थी (नीति आयोग एबीपी सूची के अनुसार)

परियोजना अवधि: 5 वर्ष (कार्यान्वयन चरण के लिए 3 वर्ष + स्थिरता चरण के लिए 2 वर्ष)

वित्तपोषण: छह परिभाषित कार्य पैकेजों से संबंद्ध उपलब्धि-आधारित वित्तपोषण

आजीविका क्षेत्र : एकल या एक से अधिक आजीविका क्रियाकलापों की अनुमति है

परियोजना टीम संरचना: सामाजिक वैज्ञानिक और डेटा वैज्ञानिक की अनिवार्य सहभागिता

हितधारक मॉडल: इसमें ज्ञान संस्थानों, एनजीओ, उद्योग और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच सहयोग शामिल होना चाहिए।

अंतिम परिदेय: परियोजना को सतत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) समाधान और पुनरुत्पाद्य मॉडल विकसित करने होंगे जिन्हें विस्तार योग्य बनाया जा सके और उन्हें संबंधित लाइन मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपनाया जा सके।

आवेदक/मुख्य साझेदार के लिए पात्रता

- शैक्षिक और आरएंडडी संस्थान
- केंद्रीय/राज्य सरकार समर्थित एसएंडटी संगठन
- प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आदि)
- पंजीकृत एनजीओ जिनके पास एसएंडटी आधारित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का कम से कम 3 वर्ष का सिद्ध अनुभव हो (एनजीओ का एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है)
- केंद्रीय/राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त निकाय
- *इनक्यूबेटर, सामाजिक उद्यम और अनुसंधान संघ (आरएंडडी लैब/संस्थानों के सहयोग से)

***टिप्पणी:** *निजी क्षेत्र की संस्थाएं स्वायत्त निकायों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक/तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदार के रूप में आवेदन कर सकती हैं, लेकिन वे मुख्य आवेदक नहीं हो सकतीं। इस कार्यक्रम के तहत इन संस्थाओं के लिए विभाग द्वारा कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।*

परिणाम मैट्रिक्स और संकेतक

प्रस्तावों में छह कार्य पैकेजों से सुमेलित सुपरिभाषित परिणाम मैट्रिक्स शामिल होना चाहिए। आउटपुट, परिणाम और प्रभाव के मापनीय संकेतकों को वेबसाइट **https://dst.gov.in/monitoring-and-evaluation** पर देखा जा सकता है।

टिप्पणी: आवेदक अपने विशिष्ट विषय से संबंधित अतिरिक्त संकेतकों का प्रस्ताव भी कर सकते हैं।

यह आजीविका-केंद्रित, एसटीआई-आधारित दृष्टिकोण आकांक्षी ब्लॉकों में स्थित पीएमएजीवाई गाँवों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, सुलभता और वहनीयता जैसे कारकों को समुचित रूप से शामिल किया जाएगा।

अनुपालनीय निर्देश और परियोजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा वाले आवश्यक दस्तावेज/संलग्नक

- आवेदकों को, कार्यक्रम की पात्रता शर्तों के अनुसार उनकी पात्रता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद, 'प्रस्ताव आमंत्रण' में ई-पीएमएस पोर्टल (**https://onlinedst.gov.in/**) के माध्यम से नया आवेदन करना होगा (बेहतर परिणाम के लिए इसे गूगल क्रोम या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में खोलें), जिसमें अपेक्षित दस्तावेज संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर के साथ संलग्न हों, अन्यथा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- किसी भी व्यक्तिगत कारण, क्षेत्रीय त्योहारों, खराब नेटवर्क स्पीड, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण पीआई द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के लिए डीएसटी जिम्मेदार नहीं होगा। सभी अपूर्ण आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। हालांकि, अस्वीकृत आवदेनकर्ताओं के पास अगले प्रस्ताव आमंत्रण में आवेदन करने का विकल्प होगा।
- कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक प्रति तैयार रखें (प्रारूप ई-पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं):
    - 'संस्थान प्रमुख की ओर से अनुशंसा पत्र' की प्रति (**अनुलग्नक-I**)
    - पीआई और को-पीआई से प्रमाणपत्र (**अनुलग्नक-II**)
    - हस्ताक्षरित 'नियम और शर्तें' की प्रति (**अनुलग्नक-III**)
    - 'हित के टकराव' की हस्ताक्षरित प्रति (**अनुलग्नक-IV**) (https://dst.gov.in/sites/default/files/DST-Conflict-of-Interest-Document%20-Approved-Final%20Version-07062016.pdf)
    - परियोजना साझेदारों के बीच समझौता ज्ञापन/सहमति।
    - मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (एनजीओ/सोसाइटी/ट्रस्ट आदि के लिए)।
    - संगम ज्ञापन, नियम और आंतरिक नियमावली (एनजीओ/सोसाइटी/ट्रस्ट आदि के लिए)।
    - पिछले 3 वित्तीय वर्षों के संगठन के तुलन-पत्र, खातों का विवरण और वार्षिक रिपोर्ट (एनजीओ/सोसाइटी/ट्रस्ट आदि के लिए)।
- **वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय के अपेक्षित समय बिंदु तक पहुँचने हेतु प्रस्ताव जमा होने की तिथि से न्यूनतम 9-12 माह की गणना की जाए। कृपया भविष्य में सभी प्रकार के पत्राचार में ई-पीएमएस पोर्टल से प्राप्त फाइल संख्या/टीपीएन संख्या का उल्लेख करें।**

उपरोक्त प्रस्ताव आमंत्रण के संबंध में कोई भी प्रश्न/पत्राचार 011-26590343, 26590618 पर करें या निम्नलिखित किसी भी पते पर ई-मेल करें:

डॉ अनीता अग्रवाल (वैज्ञानिक 'एफ' और प्रमुख), ईमेल: anita.a@nic.in
डॉ. अनुराधा फ़ौगाट (वैज्ञानिक 'डी'), ईमेल: anuradha.pughat@gov.in
समानता, सशक्तिकरण और विकास के लिए विज्ञान (सीड) प्रभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
भारत सरकार

****

अनुलग्नक-I

संस्थान के प्रमुख की ओर से अनुशंसा पत्र
(संस्थान के पत्र शीर्ष पर)

1. प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी परियोजना को कार्यान्वित करने वाले व्यक्तियों की भागीदारी का स्वागत करता है -
   मेंटर का नाम, पदनाम और संगठन:
   पीआई का नाम, पदनाम और संगठन:
   को-पीआई का नाम, पदनाम और संगठन:
2. यह प्रस्ताव किसी अन्य एजेंसी / संगठन को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. संगठन डीएसटी के अंतर्गत परियोजना सहायता के लिए "नियम और शर्तों" का पालन करेगा।
4. प्रस्तावित वेतन, भत्ते आदि की स्केल उन व्यक्तियों के लिए मान्य हैं जो संस्थान/विश्वविद्यालय/एनजीओ /स्वयंसेवी संगठन में समकक्ष पद पर कार्यरत हैं, और ये डीएसटी के दिशानिर्देशों (केंद्र/राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान के मामले में दिशानिर्देश संलग्न करें) के अनुसार हैं।
5. यह सहमत किया जाता है कि परियोजना से उत्पन्न किसी भी शोध परिणाम अथवा आविष्कारों पर बौद्धिक संपदा अधिकार सक्षम प्राधिकारी, डीएसटी के अनुमोदन से जारी अनुदेशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
6. संस्थान परियोजना की वित्तीय और अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों को आश्वस्त करता है।
7. संस्थान परियोजना के कर्मचारियों को न्यूनतम अवसंरचना और सहायक सेवाएं सुनिश्चित करते हुए परियोजना की सफलतापूर्वक समापन के लिए सभी प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
8. क्रियान्वयन करने वाले संगठनों को बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार और अन्य सामुदायिक संपर्क गतिविधियों के लिए संबंधित क्षेत्र में केवीके, छोटे स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) के साथ नेटवर्किंग को भी मजबूत करना चाहिए। साथ ही, परियोजना कर्मचारियों को इन साझेदार वीओ की क्षमता निर्माण को उत्प्रेरित और बढ़ावा देना चाहिए।
9. परियोजना के अप्रत्याशित रूप से बंद होने की स्थिति में, संगठन डीएसटी को अग्रिम में सूचित करेगा और परियोजना के समयपूर्व समापन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज जमा करेगा और/या यदि पीआई परियोजना

छोड़ देता है, तो को-पीआई (डीएसटी का पूर्व अनुमोदन लेने के बाद) भार ग्रहण करेगा और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की दायित्व लेगा ।

10. परियोजना टीम और अनुदान प्राप्त संगठन किसी भी समय डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा परियोजना का ऑडिट या निरीक्षण कराने में सुविधा प्रदान करेंगे।
11. प्रमाणित किया जाता है कि संगठन को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया है।

मुहर सहित हस्ताक्षर
(संस्थान/विश्वविद्यालय/संस्थान प्रमुख का कार्यकारी प्राधिकारी)

दिनांक : .....

स्थान .....

टिप्पण : *सहयोगी परियोजनाओं के मामले में जहां विभिन्न संस्थानों के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है, सभी सहयोगी संस्थानों द्वारा अनुशंसा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।*

अनुलग्नक-II

पीआई और को-पीआई की ओर से प्रमाणपत्र

(संगठन के पत्रशीर्ष पर)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।
2. हमने यह या इसी प्रकार का कोई परियोजना प्रस्ताव किसी भी एजेंसी/संगठन से वित्तीय सहायता के लिए कहीं अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया।
3. हम (पीआई और को-पीआई) और परियोजना साझेदार एजेंसियाँ डीएसटी के अंतर्गत परियोजना सहायता के लिए 'शर्तों और नियमों' का पालन करेंगे।
4. हम परियोजना के कार्यान्वयन की वित्तीय और अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का आश्वासन देते हैं।
5. हमने यह सुनिश्चित किया है कि उपकरण और बुनियादी सुविधाएँ वास्तव में मेजबान संस्थान में उपलब्ध होंगी और परियोजना के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुसार सहयोग करने वाले संस्थान द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा। हम इस परियोजना के अधीन इन वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं करेंगे।
6. डीएसटी द्वारा प्रदत्त सहायता भविष्य की सभी आंतरिक या बाह्य प्रकाशनों/रिपोर्टों/प्रस्तुतियों आदि में दर्शायी जाएगी और आईपीआर दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
7. परियोजना टीम और अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किसी भी समय परियोजना की लेखापरीक्षा या निरीक्षण कराने में सुविधा प्रदान करेंगे।

8. हम यह सुनिश्चित करते हैं कि डीएसटी अनुदान के माध्यम से प्राप्त स्थायी उपकरणों पर खाली समय अन्य उपयोगकर्ताओं को बड़े सामाजिक लाभ के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

9. हम समझते हैं कि प्रमुख अन्वेषक/सह-अन्वेषकों द्वारा संस्थान बदलने के कारण स्वीकृत परियोजना को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है और यह केवल डीएसटी के विवेक पर निर्भर है, बशर्ते कि पीआई द्वारा मेजबान संस्थान की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

10. यदि परियोजना प्रस्ताव डीएसटी द्वारा शॉर्टलिस्ट/चयनित किया जाता है, तो हम निम्नलिखित सामग्री और दस्तावेज़ (सॉफ़्ट कॉपी में) उपलब्ध कराने के लिए तैयार रखेंगे :

(क) डीएसटी अनुदान की 'शर्तें और संदर्भ' निर्देश।

(ख) संस्थान प्रमुख द्वारा अनुशंसा पत्र (संगठन के पत्रशीर्ष पर)

(ग) वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (केवल एनजीओ के लिए)

(घ) संस्थान का संगम ज्ञापन, नियम और विनियम (केवल एनजीओ के लिए)

(ङ) विगत 3 वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र/लेखापरीक्षित खातें (केवल एनजीओ के लिए)

(च) विगत 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें (केवल एनजीओ के लिए)

(छ) समर्थन पत्र और एसएंडटी संस्थानों के साथ औपचारिक समझौता- एनजीओ के लिए अनिवार्य।

दिनांक : ( )

स्थान : हस्ताक्षर प्रमुख अन्वेषक

दिनांक : ( )

स्थान : हस्ताक्षर प्रमुख सह अन्वेषक

अनुलग्नक-III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

डीएसटी के अधीन परियोजना सहायता के कार्यान्वयन के लिए नियम और शर्तें

(प्रत्येक क्रियान्वयनकर्ता संगठन द्वारा स्वीकृत और हस्ताक्षरित किये जाने हेतु)

1. परियोजना का फोकस डीएसटी की योजना/कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
2. परियोजना के अधीन स्वीकृत जनशक्ति के पास प्रत्येक स्वीकृत पद के लिए संबंधित योग्यताएँ और अनुभव/विशेषज्ञता होनी चाहिए, जो परियोजना के तीन/पाँच वर्षों के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों से संबंधित होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतनमान, भत्ते आदि उन व्यक्तियों के लिए अनुमत हैं जो संस्थान/विश्वविद्यालय/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठन (वीओ) में समान पद पर कार्यरत हैं, और डीएसटी के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
3. परियोजना के अंतर्गत कार्यरत जनशक्ति को संस्थान के नियमों एवं विनियमों के अनुसार पूर्णकालिक रूप से परियोजना मोड में कार्य करेगी। ऐसे कार्मिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें डीएसटी के अंतर्गत परियोजना के आउटपुट, परिणाम एवं प्रभाव से संबंधित डेटा संकलन और विश्लेषण के समन्वय हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे कार्मिक किसी अन्य परियोजना से वेतन प्राप्त नहीं करेंगे, तथापि विशिष्ट कार्यकलापों के लिए मानदेय प्रदान किया जा सकता है।
4. परियोजना जनशक्ति को दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। अपेक्षित परिणामों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु संस्थान द्वारा प्रोत्साहनों आदि सहित ऐसा उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कम-से-कम 3-5 वर्षों तक जनशक्ति को बनाए रखा जा सके तथा उनका संवर्धन किया जा सके। वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस), युवा वैज्ञानिकों एवं महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. परियोजना अनुदान प्राप्ति के पश्चात भर्ती किए गए कार्मिकों का हस्ताक्षरित बायोडाटा तथा कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित विवरण तीन माह के भीतर कार्यक्रम प्रभाग, डीएसटी को सूचित किया जाना चाहिए।
6. प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इस सहायता का उपयोग नवोन्मेषी विचारों एवं गतिविधियों की परिकल्पना एवं विकास के लिए भी किया जाना चाहिए।
7. परियोजना को जारी रखना एवं वित्तीय सहायता समय-समय पर डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किए गए प्रगति के मूल्यांकन एवं आकलन पर निर्भर करेगी। अपेक्षित प्रदर्शन न होने की स्थिति में अनुदान रोका जा सकता है तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए सहायता के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
8. अंतरराष्ट्रीय यात्रा डीएसटी के कार्यक्रम-विशिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होगी।
9. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जीएफआर 2017 के निर्धारित प्रारूप एवं समय-सीमा के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन, व्यय का लेखा परीक्षित विवरण (एसओई) तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) डीएसटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
10. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि का भी एसओई और यूसी में उल्लेख किया जाना चाहिए तथा अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित करने के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
11. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अर्जित/अर्जित होने वाली ब्याज राशि को भारत की संचित निधि-भारत कोष में जमा किया जाना चाहिए और इसका विवरण यूसी एवं एसओई में उल्लिखित होना चाहिए।
12. परियोजना सहायता से तैयार पूंजीगत संपत्तियाँ/सुविधाएँ कार्यान्वयन अवधि के दौरान और परियोजना सहायता समाप्त होने के बाद भी लक्षित लाभार्थियों द्वारा उपयोग की जाएंगी। परियोजना अवधि पूर्ण होने पर पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिधारण के लिए जीएफ़आर-2017 के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

13. यदि परियोजना दल का कोई सदस्य संस्थान छोड़ता है, तो डीएसटी को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए और रिक्त पद के 3 माह के भीतर किए गए प्रतिस्थापन की जानकारी डीएसटी को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजी जानी चाहिए।
14. सभी उपकरण एवं अन्य क्षेत्रीय संसाधन, बैनर, बोर्ड, मैनुअल, रिपोर्ट आदि पर यह उल्लेख होना चाहिए: "**(योजना/कार्यक्रम का नाम) के तहत विज्ञान के लिए समानता, सशक्तिकरण और विकास प्रभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रेरित एवं सहायता प्राप्त**"
15. डीएसटी को किसी भी समय परियोजना सहायता की लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने का अधिकार होगा। परियोजना दल और अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को डीएसटी द्वारा सूचित किए जाने पर किसी भी समय ऐसे लेखापरीक्षा या निरीक्षण में सहयोग प्रदान करना अनिवार्य होगा।
16. संस्थान के कार्यकारी निकाय की बैठकों, जहाँ परियोजना गतिविधियों की प्रगति और व्यय संबंधी विवरण पर चर्चा की जाती है, में डीएसटी के एक अधिकारी को आमंत्रित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए डीएसटी एक उपयुक्त अधिकारी को नामित करेगी।
17. अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के बारे में डीएसटी को सूचित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के खातों का अलग से रख-रखाव किया जाना चाहिए।
18. प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण का विषय, तिथि(तिथियाँ) और कार्यक्रम की सामग्री; प्रशिक्षकों के नाम एवं संपर्क विवरण; और प्रतिभागियों का विवरण, जिसमें उनका पता, संपर्क का नंबर, स्थान आदि शामिल हों।
19. परियोजना दल का प्रत्येक सदस्य स्वयं द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों, जो परियोजना में प्रस्तावित उपलब्धियों के अनुसार होगा, को लॉग बुक में दर्ज करेगा।
20. परियोजना सहायता समूह द्वारा शुरू की गई प्रत्येक गतिविधि का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें अनुसंधान किए जा रहे नए विचार, उस विचार के प्रसंस्करण में हुए व्यय, शामिल व्यक्ति, प्रस्तावित उपकरण आदि का विवरण शामिल हो।
21. समाज/लाभार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए लाभों का प्रलेखीकरण, कहानी और वीडियो के रूप में किया जाना चाहिए।
22. परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी/संस्थान किसी भी वित्तीय, विधिक या प्रशासनिक दायित्व तथा एजेंसी/संस्था और परियोजना स्टाफ के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी होगी। डीएसटी ऐसे विधिक विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हम उक्त उल्लिखित निबंधन और शर्तों से सहमत हैं।

दिनांक : ( )
स्थान : **संगठन 1 के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर**

दिनांक : ( )
स्थान : **संगठन 2 के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर**

दिनांक : ( )

स्थान : **संगठन 3 के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर**

दिनांक : ( )
स्थान : **संगठन 3 के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर**

* सभी भागीदार संस्थाओं/एजेंसियों के हस्ताक्षर

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण का प्रारूप

भाग 1: सामान्य जानकारी

1. **परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम:-**
2. **राज्य** :
3. **जिला और खंड** :
4. **प्रमुख अन्वेषक /नेटवर्क समन्वयक का नाम और संस्थान**: -
5. **आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु (वर्षों में)**:
6. **श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अन्य)**: -
7. **पदनाम** :
8. **डीएसटी का प्रभाग** :
9. **कार्यक्रम या योजना का नाम**:
10. **प्रस्ताव का प्रकार (संस्थान आधारित / प्रमुख अन्वेषक आधारित):-**
11. **परियोजना का शीर्षक** (इसमें समस्या, प्रस्तावित समाधान/प्रौद्योगिकी, लक्षित समुदाय/लाभार्थी और प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए कार्यान्वयक जिले और राज्य का नाम शामिल होना चाहिए):
12. **परियोजना अवधि:**
13. **प्रस्तावित बजट (रु. में):**
14. **प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि:**
15. **परियोजना के कीवर्ड्स (इनमें विषय क्षेत्र, चयनित आजीविका, प्रौद्योगिकी का नाम, और कार्यान्वयन का भौगोलिक क्षेत्र आदि शामिल होने चाहिए):**
16. **परियोजना सारांश (केवल 250 शब्दों में, जिसमें प्रस्तावित आकांक्षी ब्लॉक क्षेत्र की आजीविका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटक, प्रौद्योगिकी का स्रोत, समस्या विवरण, प्रस्तावित समाधान, लक्षित लाभार्थी, अपेक्षित परिणाम और अभिज्ञात समुदाय शामिल हों):**
17. **प्रस्तावित क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में प्रमुख अन्वेषक/प्रधान संस्थान द्वारा किए गए कार्यों का सारांश (100 शब्दों में):**
18. **आकांक्षी ब्लॉकों का प्रस्तावित भौगोलिक कवरेज क्षेत्र** (क्षेत्र और वहां की जनता के प्रारंभिक मूल्यांकन, न्यूनतम अवसंरचना की उपलब्धता जैसे सड़कें, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, संचार, विपणन सुविधाएँ, बिजली और सिंचाई की संभावनाएँ; जलवायु, भूमि उपयोग पैटर्न, फसल और फसलों की पैटर्न, प्राकृतिक

संसाधन और कच्चा माल, विशेष कौशल/व्यवसाय की उपलब्धता; और स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, सहकारी समितियाँ या स्वयंसेवी समूहों की उपस्थिति आदि के आधार पर पहचाना जाना चाहिए):

क्रम सं.	**राज्य**	**जिला**	**आकांक्षी जिलों के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) गांवों और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) गांवों संबंधी आकांक्षी ब्लॉक/गांव**	**अनुसूचित जाति (एससी) लाभार्थियों/ परिवारों की संख्या जिन्हें शामिल किया जाना है**
1.				
2.				

19. **लक्षित समुदाय की पृष्ठभूमि** (इसमें स्वदेशी ज्ञान (आईके)/पारंपरिक ज्ञान (टीके), कौशल और कार्य प्रणाली, लक्षित जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसांख्यिक विवरण, उनकी वर्तमान आजीविका की स्थिति, वर्तमान औसत आय स्तर और चयनित स्थानों में लक्षित लाभार्थियों के व्यवसाय शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के गांव और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) के गांव, जो आकांक्षी जिलों में स्थित हैं आदि):

क्र. सं.	**श्रेणी जैसे कि सामान्य/ एससी/ एसटी/ ईडब्ल्यूएस/ सामान्य/ अन्य (उल्लेख करें)**	**आयु वर्ग (वर्ष में सीमा)**	**लक्षित लाभार्थियों की संख्या**	**वर्तमान व्यवसाय (कुम्हार/मजदूर/किसान/शिक्षक/स्वास्थ्य-सेवा/उद्यमी/अन्य, कृपया उल्लेख करें)**	**वर्तमान औसत आय (रु. में)**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

भाग 2: संस्थान/संगठन का विवरण

20. **प्रमुख संस्थान का प्रकार (दो/तीन विभिन्न प्रकार के संस्थानों से सहयोगात्मक प्रस्ताव को प्रोत्साहित किया जाएगा):**

प्रकार	चिन्हित करें
अकादमी/अनुसंधान संस्थान	
राज्य एसएंडटी परिषद	
एनजीसी/ स्वैच्छिक संगठन	

अन्य (उल्लेख करें)	

21. **पंजीकरण संख्या और वर्ष, यदि सोसाइटी/ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है (केवल एनजीओ/निजी संस्थानों के लिए लागू)**:

22. **एनजीओ/निजी संस्थान का एनजीओ दर्पण आईडी:**

23. **संस्थान में वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या (केवल एनजीओ के लिए)**

क्र. सं.	**नाम और पदनाम**	**उच्चतम अर्हता**	**विशेषज्ञता**	**कार्यग्रहण की तिथि**	**पूर्णकालिक/अंश कालिक कर्मचारी**

24. **पिछले 5 वर्षों में प्रमुख संस्थान द्वारा संचालित/पूर्ण परियोजनाओं का विवरण (केवल वर्तमान प्रस्ताव से संबंधित):**

क्र. सं.	**वित्तपोषक एजेंसी**	**वित्तपोषण का प्रकार (राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय)**	**राशि (रु. में)**	**वर्ष**	**प्रयोजन**	**वर्तमान स्थिति (चालू / समाप्त)**

25. **संस्थान के पास परियोजना कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अवसंरचना** (भूमि/भवन, उपकरण आदि):

26. **सहयोगी संस्था (जिसमें गैर सरकारी संगठन/संस्थान/उद्योग/स्टार्टअप शामिल हैं):** -

क्र. सं.	**संगठन/संस्थान का नाम और पता**	**संस्थान का प्रकार**	**प्रस्तावित कार्य में भागीदार संगठन के रूप में भूमिका**

भाग 3: समस्या की पहचान और प्रस्तावित एस एंड टी क्रियाकलाप

27. **उस लक्षित जनसंख्या से संबंधित समस्या का उल्लेख करें जिसका आप समाधान करना चाहते हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण दें, केवल 200 शब्दों में:**
(यह विवरण आकांक्षी जिलों के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) गांवों और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) गांवों के चुनिंदा स्थानों में निवास करने वाले लोगों की मुख्य आजीविका, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में मौजूद सबसे कमजोर कड़ियों, अंतरालों या समस्याओं की पहचान पर आधारित होना चाहिए। समस्या की पहचान साक्ष्य-आधारित आंकड़ों द्वारा समर्थित होनी चाहिए–यह आजीविका प्रणाली विश्लेषण, लक्षित क्षेत्र में अन्वेषकों के फील्डवर्क, जिला (औद्योगिक) रिपोर्टों, विभिन्न अन्य रिपोर्टों के डेटा, एनआरएलएम, एसआरएलएम डेटा आदि पर आधारित हो सकती है।)

28. **लक्षित क्षेत्र का संक्षिप्त औद्योगिक परिदृश्य, केवल 100 शब्दों में:** (इसमें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध जिलों के औद्योगिक प्रोफ़ाइल तथा एमएसएमई से संबंधित योजनाओं जैसे स्फूर्ति, एस्पायर, क्लस्टर विकास, नवाचार आदि का संदर्भ लिया जा सकता है)
29. **क्या समस्या की पहचान के लिए जिला उद्योग केंद्र की रिपोर्ट की जांच की गई थी: (हाँ/ नहीं)**
30. **प्रस्तावित समस्या के लिए मौजूद क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समाधान, (केवल 200 शब्दों में):**
31. **इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित कोई अन्य सरकारी राष्ट्रीय पहल (पहलों के परिणामों का उल्लेख करें, केवल 100 शब्दों में)**
32. **आवश्यकता की पहचान के अनुसार प्रौद्योगिकी अंतर और प्रस्तावित नए अभिनव एस एंड टी घटक/अनुकूल आर एंड डी समाधान** (परियोजना के महत्व को वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बताएँ, और दर्शाएं कि यह परियोजना पहचानी गई समस्या और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "अत्याधुनिक तकनीक" या दूसरों द्वारा अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ पहल जैसे रूपरेखा संशोधन, मौजूदा समाधानों में उन्नयन आदि के माध्यम से एक नया अभिनव तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने से आगे कैसे बढ़ेगी।)

क्र. सं.	**पहचानी गई समस्या में प्रौद्योगिकी अंतर**	**प्रस्तावित एस एंड टी क्रियाकलाप, नया अभिनव एस एंड टी घटक और अनुकूल आर एंड डी समाधान**	**औचित्य (प्रौद्योगिकी विकास / स्तरोन्नयन/ स्तर घटाना/अनुकूलन/अभिग्रहण/ स्थानांतरण/प्रदर्शन/प्रसार/परिनियोजन आदि)**
क.			
ख.			

33. **प्रस्तावित उद्देश्य (परियोजना के शीर्षक के अनुरूप और केवल 4-5):**
(ड्रॉप डाउन में केवल 5 पंक्तियाँ**)**
34. **संस्थान/स्थान जहां विस्तृत प्रयोगशाला/क्षेत्र परीक्षण या प्रयोग और सत्यापन किया जाएगा:**
35. **प्रस्तावित एस एंड टी वितरण प्रणालियाँ** -
    - प्रौद्योगिकी या प्रशिक्षण पैकेज का प्रदर्शन;
    - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण;
    - ज्ञान का प्रसार, प्रचार और प्रोत्साहन;;
    - प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण;
    - स्थानीय पंचायतों/कल्याणकारी संगठनों के माध्यम से सहयोग;
    - कोई अन्य (स्पष्ट करें);

36. **परियोजना के अंतर्गत पहचानी गई प्रौद्योगिकी/अभ्यास पैकेज का स्रोत:**

स्रोत	**प्रौद्योगिकी/ अभ्यास पैकेज**	**एजेंसी/संस्था/वैयक्तिक विशेषज्ञ का नाम**
कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से तैयार किया गया		
बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करके आंतरिक रूप		

से उधर लिया गया		
किसी बाहरी संस्थान या विशेषज्ञ से उधार लिया गया		
लाभार्थियों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी/ज्ञान में आशोधन		
कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें):		

37. **परियोजना क्षेत्र में स्थापित तकनीकी बैक-अप सहायता और संबंध** (बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए राज्य सरकार की भागीदारी; अग्रगामी और पश्चगामी संबंध; पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखीकरण, प्रौद्योगिकी विकास/आशोधन/हस्तांतरण/अभिग्रहण आदि में हितधारकों की भागीदारी की सीमा और प्रकृति पर विशेष जोर के साथ)

38. **कार्यप्रणाली** (निर्धारित चरण/प्रासंगिक प्रक्रिया विवरण, जैसे: पीईआरटी चार्ट, मॉडल, आरेख; जिसमें निम्न विधियाँ शामिल हों– सर्वेक्षण; प्रोटोकॉल; संघटन; प्रौद्योगिकी पहचान, मूल्यांकन, हस्तांतरण, अनुकूलन और अभिग्रहण; प्रदर्शन और प्रशिक्षण; परिणाम और प्रभाव विश्लेषण; हितधारकों की भागीदारी; विपणन; संबंध; हितधारकों/लाभार्थियों आदि से फीडबैक और फॉलो-अप):

39. **परियोजना क्षेत्र में लक्षित जनसंख्या की भागीदारी और प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण/प्रणाली, (केवल 100 शब्दों में):-**

40. **लाभार्थियों के लिए नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या (विषय, उद्देश्य, प्रशिक्षण/वर्ष की संख्या, प्रशिक्षण के दिनों की अवधि, भागीदारी का स्तर, प्रशिक्षण की लागत):**

विषय	**उद्देश्य**	**अवधि (दिन)**	**प्रशिक्षुओं की संख्या**	**लागत (रुपये में)**	**परिणाम**

41. **परियोजना का कार्य पैकेज और अपेक्षित परिदेय (कृपया आधार-रेखा सर्वेक्षण, परियोजना कर्मियों की भर्ती और पूंजीगत क्रय को उपलब्धि/लक्ष्य न मानें)। मूल्यांकन और निगरानी संकेतकों के लिए डीएसटी की वेबसाइट https://dst.gov.in/monitoring-and-evaluation** देखें।

कार्य पैकेज/ उपलब्धि**/ लक्ष्य (प्रति वर्ष न्यूनतम 5-6)**	**कार्य/लक्ष्य उद्देश्य पूरा करने की समयसीमा**	**अपेक्षित परिदेय (अनुमानित मात्रात्मक उत्पादन, परिणाम**

	(महीनों में)	और लक्षित लाभार्थियों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव)
डब्लूपी 1: प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र में प्रमुख आजीविका प्रणालियों के आधार पर स्थलों की पहचान।		
डब्लूपी 2: प्रमुख आजीविका प्रणाली (गतिशीलता, क्षमतायें और कमजोरियाँ) और स्थानीय ज्ञान/नवोन्मेष प्रणाली का विश्लेषण		
डब्लूपी 3: आजीविका संबंधी डेटा, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, और एआई मॉडलिंग और स्थानिक दृश्यीकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाधान सहित जिला-स्तरीय डेटाबेस प्रदान करना।		
डब्ल्यूपी 4: प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और संसाधन उपलब्धता का मानचित्रण		
डब्लूपी 5: एसटीआई क्रियाकलाप: प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, अनुकूलन, स्थानीयकरण, प्रायोगिक परीक्षण और दीर्घकालीन, पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक अवसरों और स्थायी आजीविकाओं के लिए कार्यान्वयन		
डब्लूपी 6: संस्थानों और वंचित समुदाय (जिसमें युवा, ट्रांसजेंडर और महिलाएं शामिल हैं) का प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के निर्माण, रखरखाव और विपणन पर क्षमता विनिर्माण।		

42. **परियोजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले पूंजीगत उपकरणों के उपयोग**, **अनुरक्षण और संरक्षण संबंधी संस्थान की योजना (केवल 50 शब्दों में):**

43. **प्रचार, प्रोत्साहन और प्रसार योजना: (एक प्रचार**, **प्रोत्साहन और प्रसार योजना दें जो प्रदर्शित करे कि परियोजना की उपलब्धियों को सही तरीके से कैसे सांझा किया जाएगा**, **केवल 50 शब्दों में):**

44. **परियोजना कार्य की आत्मनिर्भरता/राजस्व सृजन योजना**, **केवल** 100 **शब्दों में (**परियोजना अवधि और डीएसटी से प्राप्त सहायता समाप्त होने के बाद भी परियोजना गतिविधियों को जारी रखने की योजना; समय सीमा सहित विवरण जिसमें परियोजना का लागत-लाभ विश्लेषण- परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और इसकी आत्म-निर्भरता; गतिविधि के आत्मनिर्भर होने की संभावनाओं पर

टिप्पणी/विपणन/पुन:क्रय व्यवस्था/सूक्ष्म उद्यम विकास आदि शामिल हो।)

45. **प्रस्तावित क्रियाकलापों की मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शिल्पकार इकाइयों, औद्योगिक समूहों के लिए प्रासंगिकता और मौजूदा समूहों के विकास में प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन (केवल** 50 **शब्दों में):**

46. **समान क्षेत्रों में परियोजना की पुनरावृत्ति की संभावना** (प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान के प्रमाणित होने के बाद**,** इसे कैसे प्रवर्धित किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा - क्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए राज्य सरकार को शामिल करके या बाजार के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से - क्या कोई भी उद्यमी या व्यवसायी किसी भी रूप में शामिल किया जा सकता है?) (**केवल 50 शब्दों में):**

47. **क्या परियोजना क्रियाकलापों के लिए किसी पर्यावरणीय/विधिक/नैतिक मुद्दों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से किसी अनुमति की आवश्यकता है? हाँ/नहीं**

48. **कोई अन्य संबंधित जानकारी, यदि प्रोफ़ॉर्मा के क्षेत्रों में शामिल नहीं है (कृपया केवल** 100 **शब्दों में स्पष्ट करें):**

भाग 4: अन्वेषकों का विवरण

मुख्य अन्वेषक (एकाधिक पीआई के लिए विकल्प चुनें):

1. **नाम**:
2. **लिंग (महिला/ पुरुष / अन्य)** :
3. **जन्म तिथि**:
4. **सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि**:
5. **पदनाम** :
6. **विभाग**:
7. **संस्थान/विश्वविद्यालय**:
8. **राज्य**:
9. **जिला**:
10. **शहर/स्थान**:
11. **पता**:
12. **पिन**:
13. **संप्रेषण ईमेल**:
14. **वैकल्पिक ईमेल**:
15. **मोबाइल**:
16. **दूरभाष**:
17. **श्रेणी**:
18. **उच्चतम योग्यता**:
19. **शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक स्तर से आगे): ...**

डिग्री	वर्ष	संस्थान/विश्वविद्यालय	विशेषज्ञता वाला क्षेत्र

20. वर्तमान प्रस्ताव क्षेत्र से संबंधित अनुभव का क्षेत्र (केवल 50 शब्दों में):

21. कार्य अनुभव ...:

पदनाम	वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन	जॉब प्रोफाइल

22. पिछले 5 वर्षों के दौरान परियोजना अन्वेषक (पीआई) की जारी/ पूर्ण परियोजनाओं का विवरण :

क्र.सं.	वित्तपोषण एजेंसी	वित्तपोषण का प्रकार (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)	राशि (रुपये में)	वर्ष	उद्देश्य	वर्तमान स्थिति (जारी/पूर्ण)

23. प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या:

24. महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10):

शीर्षक	लेखक	जर्नल/ पुस्तक/ लेख	खंड	पृष्ठ	वर्ष	एससीआई सूचकांक

25. पिछले पाँच वर्षों के प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित प्रकाशनों की सूची (अधिकतम 10):

26. प्रस्तुत/स्वीकृत पेटेंट, यदि कोई हो:

27. प्राप्त अवॉर्ड/पुरुस्कार/प्रमाणपत्र आदि, यदि कोई हो:

28. हस्तांतरित प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो ::

29. किस उद्योग/एनजीओ/किसी अन्य के साथ काम किया है:

सह-अन्वेषक (एकाधिक सह-प्रमुख अन्वेषकों के लिए विकल्प चुनें):

1. **नाम**:
2. **लिंग (महिला/ पुरुष / अन्य)** :
3. **जन्म तिथि**:
4. **सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि**:
5. **पदनाम** :
6. **विभाग**:
7. **संस्थान/विश्वविद्यालय**:
8. **राज्य**:
9. **जिला**:
10. **शहर/स्थान**:
11. **पता**:
12. **पिन**:
13. **संप्रेषण ईमेल**:
14. **वैकल्पिक ईमेल**:
15. **मोबाइल**:
16. **दूरभाष**:
17. **श्रेणी**:
18. **उच्चतम योग्यता**:
19. **शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक स्तर से आगे):**

डिग्री	वर्ष	संस्थान/विश्वविद्यालय	विशेषज्ञता वाला क्षेत्र

20. **वर्तमान प्रस्ताव क्षेत्र से संबंधित अनुभव का क्षेत्र (केवल 50 शब्दों में):**

21. **कार्य अनुभव**:

पदनाम	वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन	जॉब प्रोफाइल

22. पिछले 5 वर्षों के दौरान परियोजना अन्वेषक (पीआई) की जारी/ पूर्ण परियोजनाओं का विवरण:

क्र.सं.	वित्तपोषण एजेंसी	वित्तपोषण का प्रकार (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)	राशि (रुपये में)	वर्ष	उद्देश्य	वर्तमान स्थिति (जारी/पूर्ण)

23. प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या

24. महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10):

शीर्षक	लेखक	जर्नल/ पुस्तक/ लेख	खंड	पृष्ठ	वर्ष	एससीआई सूचकांक

25. पिछले पाँच वर्षों के प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित प्रकाशनों की सूची (अधिकतम 10):
26. प्रस्तुत/स्वीकृत पेटेंट, यदि कोई हो:
27. प्राप्त अवॉर्ड/पुरस्कार/प्रमाणपत्र आदि, यदि कोई हो:
28. हस्तांतरित प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो:
29. किस उद्योग/एनजीओ/किसी अन्य के साथ काम किया है

भाग 5: अनुशंसित विशेषज्ञ

अनुशंसित विशेषज्ञ :-

- नाम और पदनाम
- संगठन और पता
- संपर्क सूत्र
- ईमेल आईडी
- आवेदक के साथ पेशेवर सम्बन्ध, यदि कोई हो

भाग 6: वित्तीय (बजट) विवरण:

क. अनावर्ती व्यय (पूँजीगत)

अन्य अनावर्ती व्यय (कृपया अनुमानित विवरण दें, यदि उपकरण को प्रोटोटाइप परीक्षण आदि के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित/तैयार किया जाना है तो इसमें स्थापना शुल्क, परिवहन, कर/ड्यूटी/लेवी आदि शामिल करें और साथ ही, अपनी संस्था/संगठन पर लागू होने वाली कर/ड्यूटी छूट का लाभ उठाने का प्रयास करें। इस शीर्ष के अंतर्गत खरीदी गई वस्तुओं का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 149 के अनुसार, जैम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद केवल इसी पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, प्रधान अन्वेषक विभिन्न उप-शीर्ष के तहत खर्च करने के लिए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पालन करेंगे। निर्माण लागत के अंतर्गत बजट केवल कम लागत वाली संरचनाओं जैसे कि सामान्य सुविधा केंद्र और/या मौजूदा स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए है, न कि नई इमारतों या ढांचों के निर्माण के लिए। इस तरह के अनुदान की स्वीकृति पूरी तरह से डीएसटी के विवेक और वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमावली मानदंडों के अनुसार होगी। यदि परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है, तो उपकरणों के अनुमानित खर्च के समर्थन में बजटीय कोटेशन (कम से कम 3) की आवश्यकता होगी।)

क्र. सं.	मद/ विवरण	औचित्य	पहले वर्ष (रुपये में)	दूसरे वर्ष (रुपये में	तीसरे वर्ष (रुपये में	चौथे वर्ष (रुपये में)	पाँचवे वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)
1	**उपकरण लागत**							
2	**निर्माण/संस्थापन लागत** (निर्माण और विकास लागत के लिए सामग्री बिल/अनुमान दिया जाना चाहिए)							
3	**निर्माण लागत** (निर्माण लागत के लिए सामग्री बिल/अनुमान दिया जाना चाहिए							
		कुल						

ख. <u>आवर्ती (सामान्य),</u>

परियोजना स्टाफ (वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/तकनीकी सहायक स्टाफ की टीम जिसमें सामाजिक वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या चार से अधिक नहीं)

क्र.	डीएसटी के आदेशानुसार परियोजना स्टाफ का पदनाम और मासिक वेतन	सं.	औचित्य	पहले वर्ष (रुपये में)	दूसरे वर्ष (रुपये में	तीसरे वर्ष (रुपये में	चौथे वर्ष (रुपये में)	पाँचवे वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)

उपभोग्य वस्तुएं (अनुकूलन अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी परिष्कार, निर्माण,संस्थापन और क्षेत्र परीक्षण/प्रशिक्षण आदि के लिए आपूर्तियां सामग्री)

क्र.	मद	मात्रा.	औचित्य	पहला वर्ष (रुपये में)	दूसरा वर्ष (रुपये में	तीसरा वर्ष (रुपये में	चौथा वर्ष (रुपये में)	पाँचवा वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)
			कुल						

आकस्मिकता

क्र.	विवरण	औचित्य	पहला वर्ष (रुपये में)	दूसरा वर्ष (रुपये में	तीसरा वर्ष (रुपये में	चौथा वर्ष (रुपये में)	पाँचवा वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)
		कुल						

यात्रा (अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है)

क्र.	विवरण	औचित्य	पहला वर्ष (रुपये में)	दूसरा वर्ष (रुपये में	तीसरा वर्ष (रुपये में	चौथा वर्ष (रुपये में)	पाँचवा वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)
1.	स्थानीय यात्रा और लॉजिस्टिक्स							
2.	स्टेशनबाह्य यात्रा और लॉजिस्टिक्स							
3.	डीएसटी के फील्ड दौरे/वार्षिक समीक्षा बैठकें आदि (प्रतिवर्ष दो बैठकों के लिए अनुमानित बजट प्रस्तावित किया जाना चाहिए और इसमें 4-6 विशेषज्ञों की यात्रा, आवास और स्थानीय फील्ड दौरों की लागत शामिल होनी चाहिए)							

अन्य (आउटसोर्सिंग, फील्ड परीक्षण/प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रलेखन, प्रचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रकाशन और पेटेंटिंग आदि)

क्र.	विवरण	औचित्य	पहला वर्ष (रुपये में)	दूसरा वर्ष (रुपये में	तीसरा वर्ष (रुपये में	चौथा वर्ष (रुपये में)	पाँचवा वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

कुल						

उपरिव्यय

क्र.	विवरण	औचित्य	पहला वर्ष (रुपये में)	दूसरा वर्ष (रुपये में	तीसरा वर्ष (रुपये में	चौथा वर्ष (रुपये में)	पाँचवा वर्ष (रुपये में	कुल (रुपये में)
1.	संस्थागत उपरिव्यय	संस्थागत उपरिव्यय						

परियोजना बजट का सारांश (रुपये में)

बजट शीर्ष	वर्ष -1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	वर्ष -5	कुल
1- अनावर्ती व्यय						
अन्य अनावर्ती						
उप योग(पूंजी)						
2- आवर्ती						
परियोजना स्टाफ						
उपभोग्य सामग्रियाँ						
आकस्मिकता						
यात्रा						
अन्य (आउटसोर्सिंग, फील्ड परीक्षण/प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रलेखन, प्रचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रकाशन और पेटेंटिंग आदि)						
संस्थागत उपरिव्यय						
कुल योग (सामान्य)						
कुल परियोजना लागत (पूंजी + सामान्य)						

भाग 7: पीएफएमएस विवरण

पंजीकरण का प्रकार :
पैन नंबर :
एजेंसी का नाम :
अधिनियम पंजीकरण संख्या :
पंजीकरण प्राधिकरण:
अन्य पंजीकरण प्राधिकरण:
टीआईएन नंबर:

टीएएन नंबर:

जीएसटी नंबर:

ब्लॉक नंबर/भवन/गाँव/परिसर का नाम:

सड़क/गली/डाक घर:

क्षेत्र/मोहल्ला:

शहर :

पिन कोड :

राज्य :

जिला :

संपर्क व्यक्ति :

पदनाम :

फोन नंबर :

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

बैंक का नाम :

बैंक की शाखा का पता :

बैंक शाखा का नाम :

लाभार्थी का बैंक खाता संख्या :

बैंक का आईएफएससी कोड :

बैंक का एमआईसीआर कोड :

Department of Science a
Ministry of Science and

Call for Proposals (CFP) under Scheduled Cast Sub Plan (SCSP)

Mission सह-SANKALP

Website: https://dst.gov.in/seed-home

Last date of application: 15th March 2026

The Department of Science & Technology (DST), Government of India, in collaboration with the Office of the Principal Scientific Adviser (O/o PSA), has launched a Mission S&T for Sustainable Livelihood System as Mission सह-SANKALP (Science and Advanced Networks for Knowledge-driven Action for Livelihood Promotion). The national mission addresses the need to integrate S&T solutions with rural and tribal livelihoods to promote sustainability, resilience, and inclusive growth, especially in the Aspirational Blocks identified by Niti Aayog.

This Call for Proposals (CFP) invites eligible institutions and organizations to submit proposals for piloting STI-based livelihood interventions in selected Aspirational Blocks to develop scalable models that enhance capacities & strengthen the socio-economic conditions of **Scheduled Caste (SC) communities**; and align with the Sustainable Development Goals (SDGs). Proposals must explicitly highlight their alignment with Mission सह-SANKALP and its objectives of advancing sustainable livelihoods.

Scope of Support

- Technology development, adaptive R&D, and deployment
- Pilot implementation in selected locations in Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) villages and Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana (PM-DDKY) villages of Aspirational Districts etc.)
- Establishment of decentralized units such as community facility centres, manufacturing centres, Technology Marts or similar purposeful infrastructure with planning of long-term sustenance
- Capacity-building of community, local institutions and other stakeholders through STI-based training programs, indigenous knowledge integration and community learning hub
- Scale-up planning & sustainable modelling for adoption by community or state Govt.
- Impact assessment and documentation for wider outreach

Work Packages (WPs): Funding and implementation will be structured around the following Six WPs:

- **WP 1:** Identification of sites based on predominant livelihood systems in proposed geographical area.
- **WP 2:** Analysis of Predominant Livelihood System (dynamics, strengths and weaknesses) and local knowledge/innovation system
- **WP 3:** Providing district-level databases including livelihood data, socio-economic & environmental status, availability of natural resource & infrastructure, and S&T solutions for AI modelling, and spatial visualization
- **WP 4:** Mapping of technology requirements and resource availability

- **WP 5:** STI Intervention: Technology Assessment, Adaptation, Localization, Pilot Testing & Implementation for long-term, environmentally friendly economic opportunities and Sustainable Livelihoods
- **WP 6:** Capacity building of institutions and marginalised community (including youth, transgender and women) on manufacturing, maintenance, and marketing of technologies and products.

(The database may be used by funding agency/ state Govt. to develop an AI-enabled, evidence-based decision-making system for diagnosing local development and livelihood challenges in Aspirational Districts and implementing localized S&T-based solutions).

Key Highlights

Geographical Focus & beneficiaries: A minimum of 3 villages in a cluster and 500 direct beneficiaries per block in Aspirational Blocks (as per NITI Aayog ABP list)
Project Duration: 5 years (3 years for implementation phase + 2 years sustainability phase)
Funding: Milestone-based funding linked to the 6 defined Work Packages
Livelihood Sectors: Single or multiple livelihood interventions allowed
Project Team Composition: Mandatory inclusion of Social Scientist and Data Scientist
Stakeholder Model: Must involve collaboration between Knowledge Institutions, NGOs, Industry, and State Government agencies.
End deliverables: The project must produce sustainable STI solutions and replicable models that can be scaled up and adopted by line Ministries and Departments.

Eligibility for applicant/ lead partner

- Academic and R&D institutions
- Central/State Government-supported S&T organizations
- Technical institutions (IITs, NITs, IISERs, etc.)
- Registered NGOs with proven minimum 3-year experience in implementing S&T based projects (NGO should be registered on NGO Darpan portal)
- Autonomous bodies under Central/State Governments
- *Incubators, social enterprises and research associations (in collaboration with R&D labs/institutions)

***Note:** *Private sector entities may apply as partners with Autonomous bodies, R&D labs, Academic/ Technical institutions but cannot be the lead applicant. DST will not allocate any budget for these entities under this programme.*

Outcome Matrix & Indicators

The proposals should include a well-defined outcome matrix aligned with the six work packages. The measurable indicators of output, outcome and impact may be referred from the website https://dst.gov.in/monitoring-and-evaluation.
Note: Applicants may also propose additional indicators relevant to their specific context.

This livelihood-centric, STI-based approach will be tailored to address the unique technological needs and opportunities of the PMAGY villages in aspirational blocks, considering factors like availability, accessibility, and affordability of the citizen.

Instructions to be Followed & Documents/Enclosures Required to be Submitted along with the Project Proposal

- The applicants, after assessing their eligibility and suitability as per the eligibility conditions of the programme, shall be required to apply in fresh 'call for proposal' initiated through e-PMS Portal (**https://onlinedst.gov.in/**) (Open in Google Chrome or Mozilla Firefox for better results), attaching required documents with the signatures and rubber stamps of the concerned persons/ officials, failing which will reject the proposal. *Proposal submitted through email will not be considered*.
- DST will not be responsible for the non-submission of proposal by PI due to any personal reasons, regional festivals, poor network speed, natural calamities, etc. All the incomplete applications will be summarily rejected. However, the rejected candidates will have the option to apply in the next call for proposal.
- Please keep ready with a copy of the following documents (formats available on ePMS portal):
    - Copy of 'Endorsement from Head of Institutions' (**Annexure-I**)
    - Certificate from PI & Co-PI (**Annexure-II**)
    - Copy of signed 'Terms & conditions' (**Annexure- III**)
    - Signed copy of 'Conflict of Interest' (**Annexure- IV**) (https://dst.gov.in/sites/default/files/DST-Conflict-of-Interest-Document%20-Approved-Final%20Version-07062016.pdf)
    - Memorandum of Understanding/ Consent between project partners.
    - Authenticated copy of valid registration certificate (for NGO/society/trust etc.).
    - Memorandum of Association, Rules and Bylaws (for NGO/society/trust etc.).
    - Balance sheets, statement of Accounts and Annual report of the organization for the last 3 financial years (for NGO/society/trust etc.).
- **Count minimum 9-12 months from submission of the proposal to arrive at expected time point for final decision on the proposal for financial support. Please site file number/TPN number received from e-PMS portal in all future correspondence.**

Any query/ correspondence regarding the above Call for Proposal may be initiated on 011-26590343, 26590618 or mail to any of the following addresses: -

Dr Anita Aggarwal (Scientist 'F' & HEAD), Email: anita.a@nic.in
Dr Anuradha Pughat (Scientist 'D'), Email: anuradha.pughat@gov.in
Science for Equity, Empowerment and Development (SEED) Division
Department of Science and Technology (DST)
Govt. of India

****

ANNEXURE-I

ENDORSEMENT FROM HEAD OF THE INSTITUTE
(on letter head of the institution)

12. Certified that the Institute welcomes participation of all project implementing individuals for implementation of project-

    Name of Mentor, designation and organisation:
    Name of PI, designation and organisation:
    Name of Co-PI, designation and organisation:
13. This proposal has not been submitted to any other agency / organization for financial support.
14. Organization will abide by the **"Terms and Conditions"** for project support under DST.
15. The scale of pay, allowance, etc. proposed are those admissible to persons of corresponding status employed in the Institute/ University/ NGO/ Voluntary Organization, and are in accordance with the DST guidelines *(enclose guidelines in case of any other of Central/State Government Institutions).*
16. It is agreed that any research outcome or intellectual property right(s) on the invention(s) arising out of the project shall be taken in accordance with the instructions issued with the approval of the competent authority, DST.
17. Institute assures financial and other managerial responsibilities of the project.
18. The Institute will render all administration and financial support for successful completion of the project ensuring minimum Infrastructure and support services to project manpower.
19. Implementing organizations should also strengthen networking with KVKs, smaller Voluntary Organisation (VOs) in respective area of influence for large scale technology dissemination and other outreach activities. Also, project personals would catalyse and promote capacity building of these partner VOs.
20. In the unforeseen event of discontinuance of project, organization will inform DST in advance will submit all the required documents requesting foreclosure of project and/ or if PI leaves the project, the Co-PI will assume the charge and take responsibility for the fruitful completion of the project (after obtaining prior approval of DST).
21. Project team and Grantee organization will facilitate to conduct audit or inspection of project at any time by expert team of DST
22. Certified that the organization has never been blacklisted by any department of the State Government or Central Government.

Signature with seal
(Executive Authority of Institute/University/Head of Institution)

Date: ……

Place……

Note: *In case of collaborative projects where budget for different institutions has been proposed, the endorsement letter has to be submitted by all the collaborating institutions.*

ANNEXURE-II

CERTIFICATE FROM PI & Co-PI

(on letter head of organization)

11. This is to certify that the information given in the proposal is true to the best of my knowledge and belief.

12. We did not submit this or a similar project proposal elsewhere for financial support from any agency/organization.

13. We (PI & Co-PI) and project partner agencies will abide by the **"Terms and Conditions"** for project support under DST.

14. We assure financial and other managerial responsibilities of the project implementation.

15. We have explored and ensured that equipment and basic facilities will actually be available in the host institution and collaborating institution will be used as and when required for the purpose of the project. We shall not request financial support under this project, for procurement of these items.

16. Support of DST will be acknowledged in all future internal or external publications/ reports/ presentations etc. and IPR guidelines will be followed.

17. Project team and Grantee organization will facilitate to conduct audit or inspection of project at any time by expert team of DST.

18. We undertake that spare time on permanent equipment procured through DST grant will be made available to other users for larger societal benefit.

19. We understand that shifting of the sanctioned project from one institution to other institution due to change of the institution by the principal investigator/co-investigators is not allowed and is at sole discretion of DST, subject to submission of No Objection Certificate from the Host Institution by the PI.

20. We will keep ready to provide following materials & documents in case project proposal is shortlisted/ selected by DST (in soft copy)

(ज) "Terms & Reference" of DST grant.

(झ) Endorsement from the Head of the Institution (on letter head of organization)

(ञ) Valid Registration certificate (only for NGOs)

(ट) Memorandum of association, rules and regulations of the institution (only for NGOs)

(ठ) Audited Balance Sheets/ audited accounts of last 3 years (only for NGOs).

(ड) Annual reports of last 3 years (only for NGOs).

(ढ) Letter of Support and tie up with S&T institutions – mandatory for NGOs.

Date: **( )**
Place: **Signature**
Principal Investigator

Date: **( )**
Place: **Signature**
Co-Principal Investigator

ANNEXURE-III

Department of Science & Technology

Terms and Conditions for implementation of project support under DST
(to be accepted and signed by each implementing organization)

23. Focus of project will adhere to scheme/programme guidelines of DST.
24. Manpower sanctioned under project should have relevant qualifications and experience/expertise against each sanctioned post, which should be relevant to activities proposed for three/ five years of project. The scale of pay, allowance etc. proposed for manpower are those admissible to persons of corresponding status employed in the Institute/University/Non-Government Organization (NGO)/Voluntary Organisation (VO), and are in accordance with the DST guidelines.
25. Project manpower will work for full time in project mode as per organizations rules and regulation, and not as employee(s) of Department of Science and Technology (GoI) and may also be utilized in coordinating data collection & analysis in terms of output, outcome and impact DST. Such staff member will **not** draw salary from other projects but may receive honorarium for specific activities.
26. Project Manpower should be willing to work in remote areas. Organization should evolve an appropriate mechanism with incentives etc. to retain and nurture manpower at least for 3-5 years to ensure timely delivery of expected outcome. Recruitment from the marginalized section (SC/ST)/ EWS/ young scientist/ women candidates should be encouraged.
27. After receipt of project grant, signed bio-data and joining details about the manpower recruited should be intimated to Program Division, DST within three months.
28. The support should also be utilized to visualize innovative ideas and activities for effective implementation
29. Continuation and financial support for project will depend on evaluation of progress and assessment by expert team of DST from time to time. Non-performance may lead to stoppage of grant/disqualification for further project support.
30. International travel is subject to the programme specific guidelines of DST.
31. Progress report along with audited statement of expenditure (SoE) and utilization certificate (UC) as per prescribed format of GFR 2017 & timeline for each financial year should be submitted to DST.
32. Unspent balance at the end of each financial year should also be reported in SoE & UC and permission may be sought to carry forward the unspent balance to the next financial year.
33. Interest accrued/if accrued in each financial year should be deposited to Consolidated Fund of India-Bharat Kosh and details should be mentioned in UC & SoE.
34. Capital assets/facilities created from project support will be used by the intended beneficiaries during implementation period, and even after completion of the project support. GFR-2017 rules should be followed for retention of Capital assets on completion of project period.
35. DST will be immediately informed in case any member of the project team leaves the organization and replacement within 3 months of vacancy should be reported to DST for final approval.
36. All equipment and other field assets, banners, boards, manuals, reports etc. should carry the credit as **"Catalyzed & Supported under (scheme/programme name) of Science for Equity, Empowerment & Development Division, Dept. of Science & Technology, New Delhi".**
37. DST will be authorized to conduct audit and inspection of the project support at any time. The project team with Grantee Organization will facilitate to conduct such audit or inspection of project at any time, whenever communicated by DST.

38. An official of DST may be invited to attend the meetings of the executive body of the organization, wherein progress and expenditure details related to project activities are discussed. DST will nominate a suitable officer for this purpose.
39. DST will be kept informed about projects funded by other agencies. Accounts of such projects should be separately maintained.
40. Each training activity should be properly documented along with the subject matter, date(s) and content of training programs; contact details & names of trainers; and details of participants along with their address, contact number, place etc.
41. Each member of the project team should maintain a log book for recording the tasks performed by him/her on a day-to-day basis in direction with the milestones proposed in the project.
42. Proper documentation should be maintained in respect of activities taken up by the project support group as each new idea being pursued, expenses incurred in processing the idea, person involved, equipment proposed etc.
43. Benefits accrued to society / beneficiaries, directly or indirectly should be documented in story and video form.
44. Project implementing agency/organization will be responsible in case of any financial & legal administrative responsibility and dispute between the agency/organization and project staff. DST will not be liable for such legal cases of disputes.

We agree to the above terms and conditions.

Date: ( )
Place: Signature with seal
Head of the Organization 1

Date: ( )
Place: Signature with seal
Head of the Organization 2

Date: ( )
Place: Signature with seal
Head of the Organization 3

Date: ( )
Place: Signature with seal
Head of the Organization 3

*Signature of all partner organizations/ agencies

Proforma for submission of project proposal

Part 1: General Information

49. **Name of the Institute/University/Organization submitting the Project Proposal :**
50. **State :**
51. **District and block:**
52. **Principal Investigator/ Network Coordinator Name and Institute : -**
53. **Age (in years) as on closing date of application submission :**
54. **Category (SC/ ST/ OBC/ Gen/ Others) : -**
55. **Designation :**
56. **Division of DST:**
57. **Programme Or Scheme name: -**
58. **Type of Proposal (Institute-based/ PI-based): -**
59. **Project Title** (should include problem, proposed solution/technology, target community/beneficiaries and name of implementing Districts and State for establishment of technology centres etc.):
60. **Project Duration :**
61. **Prosed budget (in Rs.) :**
62. **Proposal Submit Date :**
63. **Project Keywords (should include subject area, selected livelihood, name of technology, and geographical area (i.e. Aspirational Blocks) of implementation etc.) :**
64. **Project Summary (in 250 words only, including livelihood of proposed Aspirational Blocks, S&T component, source of technology, problem statement, proposed solution, target beneficiaries and expected outcomes, community identified etc.) :**
65. **Summary of work accomplished by PI/ Lead Institute in the proposed area during last 5 years (100 words):**
66. **Proposed Geographical coverage Area of Aspirational Blocks** (to be identified on the basis of preliminary assessment of the areas as well as the people, availability of minimum infrastructural facilities particularly roads, water & sanitation, health centers, communication, marketing facilities, electricity and potential for irrigation; climate, land use pattern, crops & cropping patterns, natural resources & raw materials, availability of special skills/ trades; and presence of local organizations like Panchayats or cooperative or voluntary groups etc.):

Sl. No.	State	District	Aspirational Blocks / village from Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) villages and Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana (PM-DDKY) villages of Aspirational Districts	No. of beneficiaries/ House Hold (HH) to be covered in SC category
1.				

2.				

67. **Background of target community** (considering Indigenous Knowledge (IK)/ Traditional Knowledge (TK), skill & practices, socio-economic status and demographic details of target population including their present livelihood conditions, present average income level and occupations of the target beneficiaries in selected locations in Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) villages and Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana (PM-DDKY) villages of Aspirational Districts etc.:

Sl. No.	**Category viz. Gen./ SC/ ST/ EWS/ GEN/ OTHERS (Specify)**	**Age-group (range in years)**	**Target no. of beneficiaries**	**Present occupation (Artisan/ Laboure/ Farmer/ Educator/ Health-care/ Entrepreneur/ specify others etc.)**	**Present average income (in Rs.)**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Part 2: Institute/ Organization Details

68. **Type of the Lead Institute (collaborative proposal from two/three different types of Institutes will be encouraged): -**

Type	Tick mark
Academic/ research institute	
State S&T council	
NGO/ Voluntary Organization	
Others (specify)	

69. **Registration number & year, if registered as Society/ Trust (applicable for NGO/ private institute only) :**

70. **NGO Darpan ID of NGO/ private institute:**

71. **Scientific Manpower in position in the organization as on date (for NGO only)**

S.No.	**Name & Designation**	**Highest Qualification**	**Specialization**	**Date of Joining**	**Full Time/ Part Time Employee**

72. **Details of ongoing /completed project of Lead Institute during last 5 years (relevant to current proposal only) :**

S.No.	Funding Agency	Type of Funding (National/ International)	Amount (in Rs.)	Year	Purpose	Present status (ongoing/ completed)

73. **Infrastructure available with institution for implementing the project** (land/ building, equipment etc.) : -

74. **Collaboration partner, if any (including NGO/institute/industry/start-ups):** -

Sl. No.	Name & address of organization/ Institute	Type of Institute	Role as partner organization in proposed work

Part 3: Problem Identification and proposed S&T interventions

75. **State the target population related problem you seek to address and brief of their Socio-Economic status, in 200 words only** (should be based on identification of weakest links/gaps/problems in the predominant livelihood, health, quality of life and socio-economic status of people in selected locations in Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) villages and Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana (PM-DDKY) villages of Aspirational Districts – the problem identification should be supported with evidence based data – may be based on livelihood system analysis, investigators fieldwork in the target area, district (industrial) reports, data from various others reports, NRLM, SRLM data etc) **:**

76. **Brief Industrial Scenario of the target area, in 100 words only** (may refer to Industrial Profile of Districts by State Govt. and MSME schemes such as SFURTI/ ASPIRE/ Cluster/ innovation etc.) :

77. **Was the District Industry Centre report examined for identification of the problem: (Yes/ No)**

78. **Existing regional/ National/ International solutions for the proposed problem, (in 200 words only) :**

79. **Any other Government National Initiatives related to proposed activities to solve this problem (mention outcomes of the initiatives, in 100 words only) :**

80. **Technology gaps and new innovative S&T component/ adaptive R&D solution proposed as per need identification** (mention importance of the project in context of the current status, and demonstrate how the project will progress beyond the "state-of-art" or the best initiative tried by others in providing new innovative technological solution such as design modification, improvement in existing solutions etc. to the identified problem and user needs) :

Sl. No.	**Technology gap in identified problem**	**Proposed S&T interventions, new innovative S&T component and adaptive R&D solution**	**Justification** (technology development/ up scaling/ down-scaling/ adaptation/ adoption/ transfer/ demonstration/ dissemination/ deployment etc.)
a.			
b.			

81. **Proposed Objectives (aligned with title of project and 4-5 only):** (5 lines only in drop down)

82. **Institution/ places where detailed lab/ field testing or experimentations and validation will be carried out :**

83. **Proposed S&T delivery methods** -
- Demonstration of technology or training package;
- Technology transfer & commercialization;
- Knowledge dissemination, publicity and promotion;
- Training/ capacity building;
- Handholding through local panchayats/welfare organizations;
- Any other (specify);

84. **Source of identified Technology/ package of practice under project:**

Source	**Technology/ package of practice**	**Name of agency/ institution/ individual expert**
Generated in-house by staff		
Generated in-house by employing outside experts		
Borrowed from an outside institution/expert		
Modification of technlogy/know-how being used by the beneficiaries		
Any other (please specify):		

85. **Technical back-up support and linkages established in the project area** (State Govt. involvement for large scale technology dissemination; forward & backward linkages; stakeholders with emphasis on extent and nature of their involvement in documenting traditional knowledge, development of technology / modification/ transfer/ adoption etc.):

86. **Methodology** (defined steps/relevant process details e.g. PERT chart, model, diagram including methods such as Survey; Protocols, Mobilization; Technology Identification, Assessment, Transfer, Adaptation & Adoption; Demonstration & Training, Result & Impact

analysis, Stakeholders engagement, Marketing, Linkages, Feedback and Follow-up from stakeholders/ben etc.):

87. **Details/ Mechanism for ensuring the involvement and participation of target population in the project area, (in 100 words only):**

88. **Number of training programs planned for beneficiaries (Topic, purpose, no. of trainings/yr., duration of training days, level of Participation, cost/training):**

Topic	Purpose	Duration (days)	No. of trainees	Cost (in Rs.)	Output

89. **Work package and expected deliverables of project (please don't give baseline survey, recruitment of project staff and purchase of Capital as milestone/ target. Refer evaluation and monitoring indicators at DST's website https://dst.gov.in/monitoring-and-evaluation :**

Work package/ Milestones/ targets (minimum 5-6 per year)	Timelines to complete the task/ target objective (in months)	Expected deliverables (anticipated quantitative output, outcome & socio-economic impact on target beneficiaries)
WP 1: Identification of sites based on predominant livelihood systems in proposed geographical area.		
WP 2: Analysis of Predominant Livelihood System (dynamics, strengths and weaknesses) and local knowledge/innovation system		
WP 3: Providing district-level databases including livelihood data, socio-economic & environmental status, availability of natural resource & infrastructure, and S&T solutions for AI modelling, and spatial visualization		
WP 4: Mapping of technology requirements and resource availability		
WP 5: STI Intervention: Technology		

Assessment, Adaptation, Localization, Pilot Testing & Implementation for long-term, environmentally friendly economic opportunities and Sustainable Livelihoods		
WP 6: Capacity building of institutions and marginalised community (including youth, transgender and women) on manufacturing, maintenance, and marketing of technologies and products.		

90. **Plan of the institution about the usage, maintenance and retention of capital equipment to be procured under project (in 50 words only):**
91. **PUBLICITY, PROMOTION & DISSEMINATION PLAN: (provide a publicity, promotion & dissemination plan which shows how the project achievements will be properly disseminated, in 50 words only):**
92. **Self-sustainability/revenue generation plan of the project work, in 100 words only** (planning to continue the project activities even after project duration and support from DST is over; details in terms of finite time including cost benefit analysis of the project – Techno-economic viability of the project and its self-sustainability; comment on the possibilities of the activity becoming self-sustainable / marketing/ buy back arrangements /Micro Enterprise Development etc.) :
93. **Relevance of the proposed interventions to the existing Micro & Small Enterprises and Artisan Units, Industrial clusters and augmentation of proposed technologies in development of existing clusters (in 50 words only):**
94. **Possibility of replication of project in similar areas** (after the proposed technological solution is proven, how it will be scaled up or taken forward- whether by involving State Government for large scale technology dissemination or via market or any other means – any entrepreneur or business person can be involved in any manner?) **(in 50 words only)**:
95. **Whether project activities require any clearance from relevant authorities in respect of any environmental/ legal/ ethical issues? Yes/No**
96. **Any other related information, if not covered under fields of proforma (please specify in 100 words only):**

Part 4: Particulars of Investigators

Principal Investigator (insert options for multiple PI):

30. Name:

31. Gender (M/ F/ Other) :
32. Date of Birth:
33. Likely Date of retirement :
34. Designation :
35. Department:
36. Institute/University:
37. State:

38. District:
39. City/Place:
40. Address:
41. Pin:
42. Communication Email:
43. Alternate Email:
44. Mobile:
45. Phone:
46. Category:
47. Highest Qualification :

48. Education and Training (Graduation onwards):

Degree	Year	University/Institute	Field of Specialization

49. Field of Experience relevant to current proposal area (in 50 words only) :

50. Work Experience:

Designation	Year	University/ Institute/ Organization	Job profile

51. Details of ongoing /completed project of project investigator (PI) during last 5 years :

S.No.	Funding Agency	Type of Funding (National/ International)	Amount (in Rs.)	Year	Purpose	Present status (ongoing/ completed)

52. Number of Papers published :

53. Significant publications (Maximum 10) :

Title	Authors	Journal/ Book/ Article	Volume	Page	Year	SCI Index

54. List of proposed area related publications from last five years (Maximum 10) :
55. Patent filed/ granted, if any :
56. Award/ Prize/ Certificate etc. won, if any :
57. Technology transferred, if any :
58. Worked with industry/ NGO/ any other :

Co-Investigator (insert options for multiple Co-PI):

30. **Name:**

31. **Gender:**

32. **Date of Birth:**

33. **Highest Qualification :**

34. **Designation :**

35. **Department:**

36. **Institute/University:**

37. **State:**

38. **District:**

39. City/Place:

40. Address:

41. Pin:

42. Communication Email:

43. Alternate Email:

44. Mobile:

45. Phone:

46. Fax:

47. Category:

48. Education and Training (Graduation onwards):

Degree	Year	University/Institute	Field of Specialization

49. Field of Experience relevant to current proposal area (in 50 words only) :

50. **Work Experience:**

Designation	Year	University/ Institute/ Organization	Job profile

51. **Details of ongoing /completed project of project investigator (PI) during last 5 years :**

S.No.	Funding Agency	Type of Funding (National/ International)	Amount (in Rs.)	Year	Purpose	Present status (ongoing/ completed)

52. **Number of Papers published :**
53. **Significant publications (Maximum 10) :**

Title	Authors	Journal/ Book/ Article	Volume	Page	Year	SCI Index

54. **List of proposed area related publications from last five years (Maximum 10) :**
55. **Patent filed/ granted, if any :**
56. **Award/ Prize/ Certificate etc. won, if any :**
57. **Technology transferred, if any :**
58. **Worked with industry/ NGO/ any other**

Part 5: Suggested Referees

Suggested Referees -:

- **Name and designation**
- **Organization and address**
- **Contact number**
- **Email ID**
- **Professional relation with applicant, if any**

Part 6: Financial (budget) Details:

A. **Non – Recurring (Capital)**

Other Non-Recurring (Please give estimates, if the equipment is to be fabricated locally for prototype testing etc. Include installation charges, transport, taxes/duties/levies, etc. and try to avail tax/duty exemptions as applicable to your institution/ organization. Proper record should

be maintained for the items procured under this Head. As per rule 149 of GFR, the procurement of Goods & Services is Mandatory for Goods and/or Services available on GeM Portal only and PI will also follow DoE's guidelines for incurring expenditure under the different sub-head. The budget under construction cost is only for low-cost structures like Common Facility Centre (CFC) and/or renovation or refurbishing of existing space and not for construction of new buildings or structures. Approval of such grant is at sole discretion of DST and as per extant GFR norms. Budgetary quotations (min. 3 no.) will be required in support of estimates for equipment, if project is approved for financial support.)

S.	Item/ Description	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)
1	**Equipment cost**							
2	**Fabrication/ installation cost (**Bill of materials/ estimate for fabrication & development cost should be provided)							
3	**Construction cost** (Bill of materials/ estimate for construction cost should be provided)							
		Total						

B. Recurring (General),

Project Staff (team of scientists/engineers/technical support staff including social scientist total not more than four),

S.	Project Staff designation and monthly emoluments as per DST order	No.	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)

Consumables (Supplies/Materials for adaptive R&D/technology refinement, Fabrication, Installation and field testing/training etc.)

S.	Items	Qty.	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)
			Total						

Contingency

S.	Description	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)

Total							

Travel (International travel is not permitted)

S.	Description	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)
1.	Local travel & logistics							
2.	Outstation travel & logistics							
3.	DST's Field visits/annual review meetings etc. (Tentative budget to be proposed for two meetings per year and should cover the travel cost, accommodation and local field visits of 4-6 experts)							

Others (Outsourcing, Field Testing/ Demonstration, Technology Dissemination, Documentation, Publicity, Training & capacity building, Publication and patenting etc.)

S.	Description	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Total								

Overhead

S.	Description	Justification	1 Year (in Rs.)	2 Year (in Rs.)	3 Year (in Rs.)	4 Year (in Rs.)	5 Year (in Rs.)	Total (in Rs.)
1.	Institutional Overheads	Institutional Overheads						

Budget Head Summary in (INR)

Budget Head	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5	Total
1- Non-Recurring						
Other Non Recurring						
Subtotal (Capital)						
2- Recurring						
Project Staff						
Consumables						
Contingency						
Travel						
Others (Outsourcing, Field Testing/ Demonstration, Technology Dissemination, Documentation, Publicity, Training & capacity building, Publication and patenting etc.)						
Institutional Overhead						
Subtotal (General)						

Total Project Cost (Capital + General)						

Part 7: PFMS Details

Type of Registration :
PAN Number :
Agency Name :
Act Registration No. :
Registering Authority :
Registering Authority Other :
TIN Number :
TAN Number :
GST Number :
Block No /Building /Village /Name of Premises :
Road/Street/Post Office :
Area/Loacality :
City :
Pin Code :
State :
District :
Contact Person :
Designation :
Phone Number :
Mobile Number :
Email ID :
Bank Name :
Branch Address of the Bank :
Bank Branch Name :
Bank Account Number of the Beneficiary :
IFSC Code of the bank :
MICR Code of the bank :